

राजस्थान सरकार  
कार्यालय उप तहसीलदार  
लाखेरी, जिला-बून्दी (राज.)



क्रमांक : प. सुगम / 289

दिनांक : 15/5/14

**\* जाति प्रमाण - पत्र \***

प्रार्थी श्री/सुश्री/श्रीमती ज्योति मीना

पुत्र/पुत्री/पत्नी धनपाल मीना

निवासी लक्ष्मीपुरा

ग्राम/शहर लक्ष्मीपुरा

जिला / डिवीजन बून्दी राज्य /संघ राज्य-राजस्थान

द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना-पत्र, शपथ पत्र एवं दस्तावेजी सबूतों व विभिन्न सत्यापनों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि ज्योति मीना

उक्त प्रार्थी/प्रार्थनी जाति/समुदाय मीना

का है जिसे निम्नांकित अनुसार अनुसूचित जनजाति (ST)

के रूप मान्यता दी गयी है।

जो अनुसूचित जनजाति

की सूची संख्या में क्रम सं.

89

पर दर्ज है :-

- संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950
- संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951
- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूचियों (संशोधन) आदेश 1956
- बम्बई पुर्नगठन अधिनियम 1960, पंजाब पुर्नगठन अधिनियम 1966
- हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 उत्तरपूर्वीय क्षेत्र (पुर्नगठन) अधिनियम 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किए गये अनुसार।
- संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956
- अनुसूचित जाति तथा जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति, आदेश 1959
- संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति, आदेश 1962
- संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति, आदेश 1962
- संविधान (पांडीचेरी) अनुसूचित जाति, आदेश 1964
- संविधान (अनुसूचित जाति) उत्तरप्रदेश जाति आदेश 1967
- संविधान (गोवा, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश 1968
- संविधान (गोवा, दमन तथा दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968
- संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जाति आदेश 1970

श्री/सुश्री/श्रीमती ज्योति मीना

पुत्र/पुत्री/पत्नी धनपाल मीना

जाति मीना

निवासी लक्ष्मीपुरा

ग्राम/शहर लक्ष्मीपुरा

जिला / डिवीजन बून्दी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान

का परिवार सामान्यतया रहता है।



नायक तहसीलदार

लाखेरी, जिला-बून्दी, राजस्थान (बून्दी)

स्थान :

दिनांक :

(नोट : कृपया उक्त  शब्दों को हटा दीजिए, जो कृपया नहीं है)

यहाँ प्रयुक्त हुये "सामान्यतया रहता है" शब्दों का अर्थ वही होगा जो जनप्रतिनिधित्व 1950 की धारा 20 में है।